समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 31-12-2014 को घैलाढ़ प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31-12-2014 को 11:35 बजे पूर्वा0 से घैलाढ़ प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

(2) प्रखंड कार्यालय, घैलाढ़ :-

प्रखंड कार्यालय, घैलाढ़ का औचक निरीक्षण 11:35 बजे पूर्वा0 में किया गया। निरीक्षण के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये। प्रखंड कार्यालय के उपस्थिति पंजी की जाँच की गयी एवं स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1-श्री अरशद जाफरी, प्रधान सहायक	- उपस्थित
2-श्री करूणेश्वर मिश्र, सहायक	- उपस्थित
3-श्री साहिद अली, नाजीर	- उपस्थित
4-श्री ललन झा, सहायक	- उपस्थित
5-श्री मनोज कुमार, कार्यपालक सहायक	- उपस्थित
6-श्री राजकिशोर साह, सहायक	- उपस्थित
7-श्री जर्नादन गुप्ता, कार्यालय परिचारी	- इनके संबंध में बताया गया कि ये विपत्र लेकर कोषागार गये हैं।
8-श्री सुरेश कुमार, कार्यालय परिचारी	- उपस्थित
9-श्री चंदन कुमार, आवास सहायक	- अनुपस्थित
10-श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, इंदिरा आवास सहायक	- उपस्थित
11-श्री पवानानन्द भारती, सहायक (पुरैनी प्रखंड)	- अनुपस्थित
12-श्री संतोष कुमार, इंदिरा आवास सहायक	- उपस्थित
13-श्री इन्द्रदेव कुमार, कार्यपालक सहायक	- पांच दिनों से अनुपस्थित

प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि श्री पवनानन्द भारती पांच दिनों से प्रखंड कार्यालय नहीं आये हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ को निदेश दिया जाता है कि श्री पवनानन्द भारती, जो नजारत का प्रभार देने हेतु आये हैं, की अनुपस्थिति विवरणी प्रतिनियुक्ति तिथि से पांच दिन छोड़कर शेष का अनुपस्थित कर विवरणी भेंजेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिनियुक्त तिथि से केवल पांच दिन का ही वेतन देंगे एवं अन्य अवधि का वेतन 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के आलोक में वेतन देय नहीं होगा।

उसी प्रकार श्री चंदन कुमार, आवास सहायक निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये, जबकि श्री इन्द्रदेव कुमार, कार्यपालक सहायक पांच दिनों से अनुपस्थित हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ को निदेश दिया जाता है कि वे अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेंजे। स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक अनुपस्थित अवधि का वेतन /मानदेय स्थगित रहेगा।

प्रखंड कार्यालय के जांच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी 11:45 बजे पूर्वा0 में कार्यालय पहुंची। विलम्ब का कारण पूछने पर उनके द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जा सका। इंदिरा आवास द्वितीय किश्त लाभुकों के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। रोकड़ बही दिनांक 28-11-2014 तक ही अद्यतन पाया गया। रोकड़ बही भी अद्यतन नहीं पाया गया।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अवलोकन से पता चलता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रधान सहायक एवं कार्यालय के कर्मियों द्वारा न तो रोकड़ बही का नियमित संधारण किया जा रहा है और न ही इंदिरा आवास के अभिलेखों का सही से संधारण किया जा रहा है। यह कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक -सह-लेखापाल के कार्य में अभिरूचि नहीं लेने तथा कार्यालय पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ एवं प्रधान सहायक -सह- लेखापाल से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जाए।

(2) अंचल कार्यालय, घैलाढ़ :-

अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण 11:50 बजे पूर्वा0 में किया गया। अंचल अधिकारी, घैलाढ़ उपस्थित पाये गये। अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के उपस्थिति की जांच की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. श्री शंकर प्रसाद राम, प्रधान सहायक	- उपस्थित
2. श्री जय कुमार यादव, सहायक	- उपस्थित
3. श्री नवल किशोर, सहायक	- उपस्थित
4. मो0 जफर इस्लाम, सहायक	- बिना सूचना के अनुपस्थित
5. श्री कामेश्वर यादव, कार्यालय परिचारी	- उपस्थित
6. श्री राजन कुमार, कार्यालय परिचारी	- उपस्थित
7. श्री अमरदीप कुमार, आई0टी0 सहायक	- उपस्थित
8. श्री मिथिलेश कुमार, अमीन	- उपस्थित
9. श्री राहुल कुमार	- अवकाश में बताये गये।

अंचल अधिकारी, घैलाढ़ को निदेश दिया जाता है कि अनुपस्थित कर्मी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर भेंजे। स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक अनुपस्थित अवधि का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा।

कार्यालय के कार्यो का निरीक्षण किया गया एवं कुछ अभिलेखों की जांच की गयी, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1-दाखिल खारिज अभिलेख वाद संख्या-2302 /2014 - श्री भूमि प्रसाद यादव, पिता-स्व0 अधिकलाल प्रसाद यादव, ग्राम-घैलाढ़, अंचल-घैलाढ़, जिसे अस्वीकृत किया गया है। जांच में पाया गया कि इस अभिलेख में पुराना खाता होने एवं नया खाता नहीं होने के कारण जमा बंदी पंजी में मिलान नहीं हो पाया, जिस कारण अस्वीकृत किया गया।

2-दाखिल खारिज अभिलेख वाद संख्या-2442 /2014, मो0 इरफु, पिता-मो0 हदिश, ग्राम-बरदाहा, खाता सं0-233, खेसरा-2571, रकवा-0-5-5 डी0 भी अस्वीकृत किया हुआ पाया गया। बताया गया कि बिक्रयकर्त्ता के नाम से जमाबंदी नहीं चलती है, आवेदक से दर, केवला की मांग की गयी, परन्तु समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके।

3-दाखिल खारिज अभिलेख वाद सं0-2474/2014, मो0 जहांगीर पिता-स्व0 शहीद मिया, सा0-भानटेक्टी, खाता-183, खेसरा-1996, रकवा-35 डी0, इसे भी अस्वीकृत किया हुआ पाया गया। बताया गया कि बिक्रयकर्त्ता के नाम से जमाबंदी नहीं चलती है, आवेदक से दर, केवला की मांग की गयी, परन्तु समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। इस अभिलेख वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि दाखिल-खारिज वाद संख्या-2474/2014 को अपने न्यायालय में सु-मोटो अपील में लेकर उसका नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें।

4-दाखिल खारिज अभिलेख वाद सं0-2482 /2014 - सुलेखा देवी, पति-सुनील कुमार जयसवाल, ग्राम-भतरंधा, अंचल-घैलाढ़, इस वाद को भी अस्वीकृत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि जमीन विवादित रहने के कारण आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया गया।

जांच के क्रम में सूचना मिली की दाखिल-खारिज के आवेदन दिसम्बर माह से शिविर के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, जबकि आर0टी0पी0एस0 केन्द्र से भी किया जाना है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि वे सरकारी नियमानुसार आवेदन शिविर एवं आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से प्राप्त कर कार्रवाई करें।

(3) बाल विकास परियोजना कार्यालय, घैलाढ़ :-

निरीक्षण के समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ अनुपस्थित पायी गयी। बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा ही घैलाढ़ के अतिरिक्त प्रभार में है और वे कभी-कभी आती है। इस कार्यालय के उपस्थिति पंजी की जांच की गयी, स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. श्री रत्नह्रास कुमार सिंह, प्रधान सहायक - अनुपस्थित
2. श्री कृष्ण कुमार झा, सांख्यिकी सहायक - उपस्थित
3. श्रीमती राजकुमारी देवी, महिला पर्यवेक्षिका - हाजरी बनाकर अनुपस्थित
4. कुमारी मोनिका,महिला पर्यवेक्षिका-29-12-2014 से आकस्मिक अवकाश में।
5. श्रीमती मिनाक्षी देवी, महिला पर्यवेक्षिका-29-12-2014 से अवकाश में।

(4 एवं 5:) बिना आवेदन के

6. श्रीमती राजकुमारी देवी, महिला पर्यवेक्षिका – उपस्थिति बनाकर अनुपस्थित।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ को निदेश दिया जाता है कि वे अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर भेंजे। स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक **'काम नहीं तो वेतन नहीं'** के आलोक में अनुपस्थित अवधि का वेतन /मानदेय स्थगित रहेगा।

(4) मनरेगा :-

इस कार्यालय का औचक निरीक्षण 11:40 बजे पूर्वा0 में किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ अनुपस्थित पाये गये। बताया गया कि गम्हरिया के कार्यक्रम पदाधिकारी ही यहां के प्रभार में है और वे दो दिन यथा– शुक्रवार एवं शनिवार घैलाढ़ आते हैं। अन्य कर्मियों की उपस्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

1. श्री जीतेन्द्र पासवान, लेखापाल – उपस्थित
2. श्री लक्ष्मी प्रसाद, कनीय अभियंता – अनुपस्थित, परन्तु बाद में उपस्थित
3. श्री सुनील कुमार सिंह, कम्प्युटर ऑपरेटर – उपस्थित
4. श्री संजय कुमार झा, पंचायत तकनीकी सहायक – दो दिनों से अनुपस्थित

कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ को निदेश दिया जाता है कि अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर भेंजे। स्पष्टीकरण पर अंतिम निर्णय होने तक **'काम नहीं तो वेतन नहीं'** के आलोक में अनुपस्थित अवधि का वेतन /मानदेय स्थगित रहेगा।

(5) क्रय केन्द्र, घैलाढ़ :-

क्रय केन्द्र, घैलाढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा एवं अंचल अधिकारी, घैलाढ़ उपस्थित थे। जांच में पाया गया कि क्रय केन्द्र पर काफी मात्रा में धान रखा हुआ है। क्रय केन्द्र प्रभारी ने बताया कि पैक्स द्वारा पूर्ण कागजात नहीं दिये जाने एवं मुआईसचर मिटर खराब रहने के कारण धान को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 को निदेश दिया गया कि वे मुआईसचर मिटर को अविलम्ब ठीक करावें अथवा किसी मिलर से प्राप्त कर यहां लगाना सुनिश्चित करें, ताकि क्रय केन्द्र सुचारू रूप से चल सके। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे सभी पैक्स को निदेशित करें कि पूर्ण कागजात के साथ ही राज्य खाद्य निगम के गोदाम /क्रय केन्द्र पर धान अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक ...04.../गो0, मधेपुरा, दिनांक ...01/01/2015

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, घैलाढ़ /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़ /कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

01/01/15

जिलाधिकारी

मधेपुरा।